न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

विनोद कुमार बनाम मूर्ति मंदिर नृसिंह आदि

किस्म मुकदमा 225 मु. नं0 56 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
26.4.24	अपील दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील अपीलांट की बहस एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश किये गये दस्तावेज एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील/आदेश/आदेशिका उनवान मूर्ति मन्दिर नृसिंह बनाम विनोद कुमार राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2014 धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपने द्वारा पेश वाद के साथ पेश किया गया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि "पत्रावली का अवलोकन, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एवं बिना अप्रार्थीगणों को सुने इस स्तर पर न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है"। पत्रावली अभी जवाब आवेदन हेतु नियत है एवं विचारण न्यायालय के स्तर से धारा 212 प्रार्थना पत्र को अन्तिम रूप से तय नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तिम आदेश नही होकर अन्तरिम आदेश है। जो आगामी तारिख पेशी मात्र तक के लिये था। यह अपीलांधीन निर्णय की श्रेणी में नही आता है। अपीलांट के पास विकल्प था कि विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण के गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय प्राप्त करते और अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश करते। माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच द्वारा प्रकरण उनवानी जगदीश बनाम भोपालाराम में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2014 (आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409) में स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया है कि धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर पारित व अन्तरिम एकपक्षीय आदेश जो आगामी तारिख पेशी तक दिये गये हो, उनकी अपील धारा 225 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। पृष्ठ 410 के महत्वपूर्ण बिन्दु (बी) पर इस प्रकार मत पारित किया गया है:– " Revenue Appellate Authority has jurisdiction Under Section 225 of the Act to entertain an appeal against ex-parte or ad – interim ex-parte order passed by a Trial Court under section 212 of the Act, but Revenue Appllate Authority has no jurisdiction to entertain appeals against such ad- interim ex- parte order which are effective only till next date of hearing." इसी निर्णय में (आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ 431) पर इस सम्बंध में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को उद्वरित करते हुए होल्ड किया है:–	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर